COVID-19 (कोरोना वायरस) के कारण लॉकडाउन अवधि में किसानों एवं कृषि सेक्टर के लिए परामर्श Advisory for farmers and farming sector during lockdown period due to

भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा 3 मई, 2020 तक बढ़ाई गई लॉकडाउन अवधि (आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-1 (ए) दिनांक 15 अप्रैल, 2020) के दौरान विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनका अनुपालन राज्यों, संघ शासित प्रदेशों और आमजनों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। लॉकडाउन की इस बढ़ी हुई अवधि में, निम्नलिखित कृषि एवं बागवानी गतिविधियां पूरी तरह से चलायमान रहेंगी :

1. खेत में किसानों और खेत मजदूरों द्वारा किए जाने वाले खेती संबंधी कार्य
2. एमएसपी ऑपरेशन सहित कृषि उत्पादों की खरीद में संलग्न एजेन्सियां
3. राज्य/संघ शासित प्रदेश द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया गया है अथवा कृषि उत्पाद विपणन समिति (APMC) द्वारा संचालित 'मंडियां' (यथा सेटेलाइट मंडियां)
4. किसानों, किसान समूहों, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन (FPOs') कॉपरेटिव आदि से राज्य/संघ शासित सरकार अथवा उद्योग द्वारा किए जाने वाले सीधे मार्केटिंग ऑपरेशन। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा विकेन्द्रीकृत और गांव स्तर पर मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाए।
5. कृषि मशीनरी, इनके स्पेयर पार्ट्स (इनकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) तथा इनकी मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगीं।
6. फार्म मशीनरी से संबंधित 'कस्टम हायरिंग केन्द्र (CHC)' की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
7. उर्वरकों, कीटनाशकों तथा बीजों का उत्पादन, वितरण एवं रिटेल से जुड़े कार्य यथावत चालू रहेंगे।
8. कम्बाइन्ड हार्वेस्टर तथा अन्य कृषि/बागवानी उपकरणों जैसी कटाई एवं बुवाई से जुड़ी मशीनों का आवागमन (राज्य में तथा राज्यों के बीच) बना रहेगा।
9. **मात्स्यिकी से संबंधित गतिविधियां**

- मछली पकड़ने (समुद्रीय एवं अंतर्स्थलीय)/जलजीव पालन उद्योग से जुड़े कार्य किए जाते रहेंगे जिसमें शामिल है : फीडिंग एवं रख-रखाव, मछली पकड़ना, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, शीत श्रृंखला, बिक्री एवं मार्केटिंग ।
- हैचेरीज, आहार संयंत्र तथा व्यावसायिक एक्वेरिया
- मत्स्य/झींगा एवं मत्स्य उत्पादों, मत्स्य बीज/आहार और इन सभी गतिविधियों में संलग्न कामगारों का आवागमन

10. **बागानों से संबंधित गतिविधियां**

- अधिकतम 50 प्रतिशत कामगारों के साथ चाय, कॉफी और रबर बागानों में ऑपरेशन कार्य
- अधिकतम 50 प्रतिशत कामगारों के साथ चाय, कॉफी, रबर एवं काजू का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री एवं मार्केटिंग

11. **पशु पालन से संबंधित गतिविधियां**

- परिवहन एवं आपूर्ति श्रृंखला सहित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध एवं दुग्ध उत्पादों का संकलन, प्रसंस्करण, वितरण एवं बिक्री
- पोल्ट्री फार्म एवं हैचेरीज तथा पशुधन पालन गतिविधि सहित पशु पालन फार्म का संचालन संबंधी कार्य
- मक्का एवं सोया जैसी कच्ची सामग्री की आपूर्ति सहित पशु आहार उत्पादन एवं आहार संयंत्र
- गौशाला सहित पशु शेल्टर आवास का संचालन संबंधी कार्य

इस विस्तारित लॉकडाउन अवधि के दौरान, कृषि एवं बागवानी से जुड़ी सभी प्रकार की गतिविधियां पूरी तरह से कार्यशील बनी रहेंगी, इसलिए किसानों को निम्नलिखित कृषि परामर्श दिया जा रहा है :

1. फसलों की कटाई एवं गहाई अथवा थ्रेसिंग का कार्य

COVID-19 विस्तार के खतरे के मध्य ही रबी फसलें (विशेषकर गेहूं, सरसों, गन्ना, मसूर, मक्का एवं मिर्च) परिपक्वता की ओर बढ़ रही हैं अथवा पहले से ही पककर कटाई के लिए तैयार हैं। जैसा कि कृषि ऑपरेशन एक समयबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए कृषि उत्पादों की कटाई अथवा तुड़ाई करना और इनका रखरखाव करना जरूरी हो जाता है जिसमें कि बाजार तक इन्हें ले जाना भी शामिल है।

- कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किसानों द्वारा सभी प्रकार की सावधानियां तथा सुरक्षा उपायों का पालन करने की जरूरत है । इसमें शामिल है : सोशल डिस्टैन्सिंग अथवा सामाजिक दूरी को बनाये रखना, साबुन से अपने हाथों को बार-बार धोकर निजी स्वच्छता को बनाये रखना, फेस मास्क पहनना, बचाव के कपड़े पहनना तथा कृषि उपकरणों एवं मशीनरी की सफाई रखना। मजदूरों द्वारा खेत ऑपरेशन की सम्पूर्ण प्रक्रिया में प्रत्येक कदम पर सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।
- खेत में कम से कम मजदूरों को शामिल करने हेतु जहां तक संभव हो सके, फसलों की कटाई का कार्य मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर्स के माध्यम से किया जाए। यदि दरांती आदि जैसे हाथ से चलाने वाले औजारों की मदद से फसल की कटाई का कार्य किया जाता है तब इन्हें दिन में कम से कम तीन बार साबुन वाले पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। यातायात के सभी वाहनों, जूट बैग अथवा पैकेजिंग की अन्य सामग्री को भी अच्छी तरह से स्वच्छ कर लिया जाए।
- कटाई करते समय, अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टैन्सिंग अथवा सामाजिक दूरी को बनाये रखा जाए। फसलों की कटाई करते समय, भोजन करते समय अथवा अन्य कार्य करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी कम से कम 1 से 2 मीटर रखी जाए। प्रत्येक कामगार के पास खाने के लिए अपने अलग-अलग बरतन होने चाहिए जिन्हें उपयोग करने के उपरान्त साबुन से साफ कर लिया जाए।
- प्रत्येक फार्म मजदूर द्वारा पानी पीने के लिए अपनी निजी पानी की बोतल अथवा बरतन का प्रयोग किया जाए और इन्हें अन्य के साथ साझा नहीं किया जाए।
- किसानों द्वारा खेत पर ही साबुन और स्वच्छ जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। कटाई कार्यों के दौरान, मजदूरों को अपने हाथ बार-बार साबुन से धोने चाहिए और हाथ धोये बिना नाक, मुंह एवं आंखों को स्पर्श नहीं करना चाहिए।
- फार्म ऑपरेशन करते समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क की अनुपस्थिति में, चुन्नी, गमछा, तौलिया अथवा अन्य पतले कपड़े का उपयोग किया जाए और इन्हें तीन बार मोड़कर नाक और मुंह को ढ़ककर रखा जाए । कृषि कार्यों को करते समय उपयुक्त कपड़ों से नाक और मुंह को ढ़ककर रखने की पारम्परिक विधि भी यहां उपयोगी होगी।
- एक दिन इस्तेमाल किए गए सभी प्रकार के कपड़ों को अगले दिन नहीं पहना जाए। इन कपड़ों को साबुन से धोकर धूप में सुखा लें और फिर अगली बार इनका प्रयोग करें।
- हाथ से कटाई करने/चुनने अथवा तुड़ाई करने के मामले में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में 4 से 5 फीट का फासला बनाये रखा जाए और इसके लिए 4 से 5 फीट के फासले पर एक डोरी बांध कर उसमें एक व्यक्ति द्वारा ही कार्य किया जाए। इससे कार्य में लगे हुए मजदूरों के बीच में पर्याप्त दूरी बनी रहेगी।
- जहां कहीं संभव हो वहां खेत कार्यों को बांट दें जिससे एक ही दिन में अधिक संख्या में मजदूरों को कार्य कराने से बचा जाए।
- जहां तक संभव हो, केवल परिचित व्यक्तियों को ही कार्य पर लगाया जाए और उनसे पर्याप्त पूछताछ की जाए ताकि खेत कार्य करते समय किसी भी संदेहास्पद अथवा संभावित रोग वाहक के प्रवेश को रोका जा सके।

- यदि किसी व्यक्ति को खांसी की समस्या है, उसकी नाक बह रही है, उसे बुखार और सिरदर्द है तब ऐसे व्यक्ति को अलग कर दिया जाए और उसे मेडीकल जांच के लिए डॉक्टर/डिस्पेन्सरी में भेजा जाए। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कृषि कार्य में शामिल नहीं किया जाए और उसे अलग रखा जाए।
- कृषि उत्पाद का संकलन छोटे छोटे ढ़ेर में किया जाए और इनके बीच 3 से 4 फीट का फासला रखा जाए। खेत स्तरीय प्रसंस्करण का कार्य प्रति ढ़ेर 1-2 व्यक्तियों को ही सौंपा जाए ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि फार्म उत्पाद भूमि/मृदा के सम्पर्क में नहीं आयें। थ्रेसिंग के निकट सतह पर कोई भी व्यक्ति थूके नहीं।
- परिवहन और कृषि मशीनरी यथा ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर, ट्रॉली, कम्बाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर, अन्य छोटे औजार, कन्टेनर, प्लास्टिक शीट/तिरपाल, जूट बैग आदि को उपयोग करने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए।
- विशेषकर जब कभी मशीनों का उपयोग अन्य किसानों तथा किसान समूहों द्वारा किया गया है तब मक्का और मूंगफली की गहाई अथवा थ्रेसिंग के लिए इन मशीनों की अच्छी तरह से स्वच्छता एवं सफाई कर लेनी चाहिए। बार बार स्पर्श करने वाले मशीन पार्ट्स को साबुन के साथ धोने की सलाह दी जाती है।

2. कृषि उत्पादों का फसलोत्तर कार्य, भण्डारण एवं मार्केटिंग

- फार्म स्तर पर कृषि उत्पादों को सुखाने, गहाई करने, विनोइंग करने, साफ करने, ग्रेडिंग करने, छांटने तथा पैकेजिंग करते समय सुरक्षात्मक फेस मास्क को पहनने से वायु एवं धूल कणों से बचने में मदद मिल सकती है जिससे सांस संबंधी परेशानियां कम होती हैं।
- फार्म/घर पर कटाई किए गए दानों, कदन्न अथवा मिलेट्स एवं दालों का भण्डारण करने से पहले इन्हें अच्छी तरह से सुखाना जरूरी होता है । नाशीजीव संक्रमण से बचने के लिए पिछले सीजन के दौरान उपयोग किए गए जूट बैग का उपयोग अथवा पुन: उपयोग नहीं किया जाए। 5 प्रतिशत नीम घोल में डुबोकर जूट से बने बैग को उपचारित किया जाए और उन्हें सुखा लिया जाए।
- जूट से बने बैग में फार्म पर कृषि उत्पादों का भण्डारण करने के लिए पर्याप्त सावधानियां बरती जाएं । बेहतर मूल्य पाने के लिए यदि जरूरी हो तो किसानों को अथवा निकटवर्ती शीत भण्डारण/गोदाम/वेयरहाउस में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं।
- फलों व सब्जियों की पैकिंग करने के लिए कन्टेनर्स (क्रेट्स, पेपर, बैग, रस्सी) को सही तरह से स्वच्छ करना जरूरी होता है। पैकिंग करने से पहले फलों व सब्जियों को साफ पानी से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए।
- कटे हुए अथवा क्षतिग्रस्त फलों व सब्जियों को अलग कर लेना चाहिए और उन्हें पैक नहीं करना चाहिए।
- घर में भण्डारण करने से पहले फार्म उत्पाद को विशेषत: धूप में 48 घंटे के लिए बाहर रखना चाहिए।
- फार्म उत्पाद को वाहन में लादने अथवा लोडिंग करने और परिवहन के दौरान तथा बाजार यार्ड्स/नीलामी प्लेटफार्म पर बिक्री में भागीदारी करते समय समुचित रूप से व्यक्तिगत सुरक्षा उपायों को अपनाया जाए।
- बीज उत्पादक किसानों को सहायी दस्तावेजों के साथ बीज कम्पनियों में अपने उत्पाद को ले जाने की अनुमति है और उनके द्वारा भुगतान प्राप्त करते समय सावधानियां बरती जाएं।
- बीज प्रसंस्करण/पैकेजिंग संयंत्रों तथा बीज उत्पादन करने वाले राज्यों से अन्य राज्यों को बीज का परिवहन (दक्षिण से उत्तर) करना अनिवार्य है ताकि आगामी खरीफ फसलों के लिए बीज उपलब्ध कराये जा सके यथा दक्षिणी राज्यों से उत्तरी राज्यों में अप्रैल में बुवाई हेतु हरे चारे के लिए एसएसजी बीज आता है।
- फार्म से टमाटर, फूलगोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां, खीरा तथा अन्य खीरावर्गीय सब्जियां जैसी सब्जियों की सीधी मार्केटिंग/आपूर्ति के लिए सावधानियां बरती जाएं।

खेतों में खड़ी फसलें

- गेहूं की खेती वाले अधिकांश इलाकों में तापमान अभी भी दीर्घावधि औसत से कम है और इस कारण 10 अप्रैल से आगे कम से कम 10-15 दिनों तक गेहूं फसल की कटाई करने में देरी होने की संभावना है। इसलिए, किसान 20 अप्रैल तक गेहूं फसल की कटाई में देरी कर सकते हैं और इसमें उन्हें कोई विशेष नुकसान नहीं होगा । इससे किसानों को खरीद के लिए लॉजीस्टिक सुविधाओं और तारीखों की घोषणा के संबंध में प्रबंधन करने में पर्याप्त समय मिलेगा।
- दक्षिणी राज्यों में रबी धान फसल दाना भरने की अवस्था में है जो कि ग्रीवा प्रध्वंस प्रकोप के कारण व्यापक रूप से प्रभावित है । अनुबंधीय छिड़काव करने वालों अथवा किसानों द्वारा संस्तुत कवकनाशी का छिड़काव करते समय पर्याप्त सावधानियां बरती जाएं।
- धान की फसल में कटाई अवस्था में किसी भी बेमौसमी वर्षा होने की स्थिति में, बीज अंकुरण को रोकने के लिए 5 प्रतिशत नमक घोल का छिड़काव किया जाए।
- आम जैसी बागवानी फसलों में फलन अवस्था में, पोषक तत्वों का छिड़काव करने और फसल सुरक्षा से जुड़े खेत ऑपरेशन करते समय इनपुट का रखरखाव करने, छिड़काव घोल को मिलाने, उपकरणों की डिलीवरी करने में और धुलाई करते समय पर्याप्त सावधानी बरती जाए।
- चावल परती में ग्रीष्म दलहनी फसलों में समुचित सुरक्षा उपायों के साथ सफेद मक्खी की रोकथाम की जाए ताकि येलो मोज़ेक वायरस प्रकोप को रोका जा सके।

लॉकडाउन अवधि के दौरान सुचारू कृषि ऑपरेशन को सुनिश्चित करने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं ?

लॉकडाउन तथा तात्कालिक संकट को देखते हुए, कुछ प्रमुख उपाय किए जाएं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है :

1. कस्टम हायर केन्द्रों और उपलब्ध मशीनरी की सूची को साझा किया जाए और इनकी पहुंच सुविधा को उपलब्ध कराया जाए। संस्थानों तथा राज्य विभागों की फार्म मशीनरी का पूल्ड किया जा सकता है और उन्हें रोस्टर आधार पर कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑन बोर्ड लॉजीस्टिक सेवा प्रदाताओं को 'किसान रथ ऐप' प्रारंभ किया गया है । इसके द्वारा फार्म गेट से नियमित बाजारों, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन (FPO) केन्द्रों, गांव हाट/ GrAMS, वेयरहाउस, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, प्रसंस्करण इकाइयों, थोक एवं खुदरा बाजारों आदि तक कृषि एवं बागवानी उत्पादों को ले जाने की परिवहन सुविधा प्रदान की जा सकती है।
2. 'किसान रथ ऐप' से परिवहन एग्रीगेटर्स के माध्यम से 500,000 से अधिक ट्रकों के साथ साथ किसान समूह द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग केन्द्रों (CHCs) से 20,000 ट्रैक्टरों की बोर्डिंग करने में मदद मिलेगी। यह जहां एक ओर किसानों और व्यापारियों को प्रतिस्पर्धी दरों पर समय से परिवहन सेवा का प्रावधान करने में वहीं दूसरी ओर खाद्य को खराब होने में कमी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे कोविड-19 महामारी के दौरान कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को भी मजबूती मिलेगी। राष्ट्रीय सूचनाप्रणाली केन्द्र (NIC) द्वारा विकसित एवं समर्थित 'किसान रथ ऐप' तक गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से पहुंच स्थापित की जा सकती है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, कृषि मशीनरी तथा औजारों की मरम्मत करने वाली दुकानों के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स की दुकानों को चलाने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि आकस्मिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।
3. फसलोत्तर नुकसान को रोकने के लिए गुणवत्ता और जीवन-काल को बढ़ाकर रखते हुए मूल्य वर्धन के लिए प्रसंस्करण जरूरतों को पूरा किया जाए। लघु स्तरीय प्रसंस्करण और बॉय बैक व्यवस्था को बढ़ावा देने से

नुकसान कम हो सकेगा और साथ ही स्थानीय इलाकों में सस्ती दरों पर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी।

4. राज्यों और केन्द्र द्वारा खाद्य रिटेल तथा खाद्य उद्योगों के लिए शून्य बाधा वाली आपूर्ति श्रृंखला क्रियाविधि के साथ अनिवार्य खाद्य वस्तुओं को वर्गीकृत किया जाए ताकि उपभोक्ताओं, खाद्य उद्योग और किसानों की मदद की जा सके। किसानों और खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं यथा पोल्ट्री पालन को प्रभावित करने वाली झूठी समाचार अफवाहों के विरूद्ध कड़े नियम बनाये जाएं। खाद्य पैकेजिंग उद्योग को अनिवार्य श्रेणी में रखा जाए।
5. बार्डर अथवा सीमाओं पर बिना रूके पूरे भारत में पूरी तरह से समर्पित खाद्य परिवहन गलियारे अथवा कॉरीडार घोषित किए जाएं। खाद्य की सुचारू आपूर्ति श्रृंखला के लिए आधार कार्ड आधारित अनुमोदन, पास जारी किए जाएं।
6. ई-कॉमर्स आधारित ऐप को बढ़ावा दिया जाए ताकि गलियों में आवागमन को सीमित करने और खरीद करने में घबराहट को रोकने के लिए डिलीवरी कार्मिक की त्वरित तैनाती करने में मदद को बढ़ावा दिया जा सके।
7. आयात आश्रित कृषि रसायनों और उर्वरक सेक्टर में दीर्घावधि में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। स्थाई खाद्य उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा आगामी खरीफ सीजन के लिए कृषि इनपुट की निशुल्क आपूर्ति की जाए।
8. रबी सीजन की जिंसों की खरीद और मार्केटिंग द्वारा उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए भावी मूल्य का निर्धारण होगा। राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर रबी फसलों की खरीद की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए एक मजबूत रणनीति तैयार करने हेतु राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के साथ सलाह करके कार्य करना चाहिए।
9. मेरा गांव - मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत अंगीकृत किए गए 13500 गांवों, एटिक, आईसीटी आधारित ऐप, कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों सहित अग्रिम पंक्ति प्रसार प्रणाली द्वारा सावधानी बरतने और सुरक्षा उपायों को अपनाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जारी किए गए परामर्श को किसानों तक पहुंचाया जाए। इसमें शामिल हैं : सामाजिक दूरी अथवा सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखना, साबुन से बार-बार हाथों को धोकर व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाये रखना, फेस मास्क तथा सुरक्षात्मक कपड़े पहनना और औजारों व मशीनरी की सफाई करना ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके।
10. चूंकि ग्रीष्मकाल मौसम वाली फसलों (दलहन, सब्जियां, चावल) की बुवाई की जानी है, इसलिए बीज आदि जैसे इनपुट की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय बीज निगम (NSC)/राज्य बीज एजेन्सियों; 1.39 लाख ग्रामीण डाकघर शाखाओं और कृषि विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराया जा सकता है।
11. शहरों से अपने संबंधित गांवों में बड़ी संख्या में मजदूर वर्ग के प्रतिलोम पलायन को देखते हुए अन्य सूक्ष्म उद्यमों के साथ सब्जी उद्यम में कम अथवा शून्य भूमि की आवश्यकता होगी। इसे बढ़ावा दिया जाए ताकि इन मजदूरों को इस छोटी समय अवधि में अपनी आजीविका सुरक्षा करने और आय अर्जित करने का अवसर मिल सके।
12. सब्जी अथवा डेयरी उत्पादन जो कि अनिवार्य सेवाओं में आते हैं, में कार्यरत किसानों के मामले में, प्रशासन द्वारा इन्हें निकटवर्ती घरों, कॉलोनियों, सोसायटीज अथवा छोटे बने बाजारों में पूरी सावधानी और सुरक्षा उपायों के साथ अपने उत्पादों की आपूर्ति करने और इन्हें लाने ले जाने की अनुमति दी जाए।

. . . . .